प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

वेबसाइट : https://dicgc.org.in/hindi/ Website: www.dicgc.org.in ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in



28 जुलाई, 2025

जमा बीमा योजना, 1961 - पंजीकरण रद्द करना- कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक ।

Deposit Insurance Scheme, 1961-Cancellation of Registration- Karwar Urban Cooperative Bank Ltd., Karnataka.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जुलाई 2025, प्रेस प्रकाशनी के आदेश द्वारा कारवार अर्बन को-**ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक** का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

The Reserve Bank of India (RBI), vide press release dated July 23, 2025 has cancelled the license of Karwar Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka.

2. परिणामस्वरूप, बीमित बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण 23 जुलाई 2025 की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

Consequently, the registration of the bank with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) stands cancelled with effect from July 23, 2025.

3. कुपया नोट करें कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, निगम कारवार अर्बन को-**ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक** के प्रत्येक जमाकर्ता को, उस समय जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है अर्थात 23 जुलाई 2025 को, उस बैंक में उसकी जमा राशि के संबंध में उसे देय राशि के बराबर धनराशि का भूगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि बैंक के पंजीकरण को रद्द करने की तारीख पर निगम द्वारा किसी जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के संबंध में देय कुल राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में ₹ 5 लाख तक सीमित होगी।

Please note that in terms of Section 16 of the DICGC Act, the Corporation is liable to pay to every depositor of Karwar Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka an amount

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

· (2)

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

वेबसाइट : <u>https://dicgc.org.in/hindi/</u> Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : <u>dicgc@rbi.org.in</u>

equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such order is made i.e., July 23, 2025, provided that the total amount payable by the Corporation to any one depositor in respect of his deposits as on the date of the cancellation of the registration of the bank shall be limited to ₹ 5 lakhs in the same capacity and in the same right.

4. परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए दावा निपटान प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.dicgc.org.in/public-awareness देखें (कृपया ड्रॉप डाउन से भाषा के रूप में हिंदी का चयन करें)।

For more information regarding the claim settlement procedure for depositors of liquidated banks, please visit https://www.dicgc.org.in/public-awareness.

एन. अरुण विष्णु कुमार निदेशक (ई)

प्रेस विज्ञप्ति/Press Release: 2025-2026/12